

(ख) से (घ) उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के दौरान खराब होने पर मुफ्त में रेगुलेटर बदला जाता है किन्तु उपभोक्ता द्वारा जबरदस्ती घुमाने तोड़ने के कारण रेगुलेटर के लिए 75/- रुपए का टेरिफ शुल्क लिया जाता है। उपभोक्ता द्वारा रेगुलेटरों को सुरक्षित ढंग से चलाने को बढ़ावा देने के लिए ऊंची दर निर्धारित की गई है।

एल पी जी सलाहकार समितियों की स्थापना

548. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम गैस के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सलाहकार समितियाँ गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौर क्या है और ऐसी समितियों के कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि तेल कंपनियों द्वारा स्थापित किये गये शिकायत कक्षों द्वारा एल पी जी प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों की जहाँ कहीं आवश्यकता होती है तत्काल जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतिभूति निक्षेप

549. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाजारी को रोकने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के

नये कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराने के समय प्रतिभूति निक्षेप वसूल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौर क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) :

(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी दिल्ली गैस के कनेक्शनों का जारी किया जाना

550. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली में इन्डियन आयल कारपोरेशन के एलपीजी वितरकों ने उन आवेदकों को, जिन्होंने अपने नाम 1983, 1984, 1985 और 1986 के वर्षों में पंजीकृत कराए थे; गैस के कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं जबकि ऐसे ही पंजीकरण के आधार पर नई दिल्ली के निवासियों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर "हाँ" हो, तो क्या सरकार यह सुविधा पूर्वी दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पूर्वी दिल्ली सहित पूरे देश में उन वितरकों के द्वारा जो अधिकतम सीमा से कम पर काम कर रहे हैं,

चरणबद्ध रूप से नये एलबीजी गैस कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। बशर्ते कि उत्पाद उपकरण आदि सुविधाएं उपलब्ध हों।

Hike in the Prices of Medicines

551. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of some medicines have gone up by more than 100 per cent after the announcement of DPCO, 1987; and

(b) if so, what were the prices of proluion Injection 2nd, Salvigon tablets pack of 100, Marzine tablets pack of 10, Actidil tablets strip of 10, Neosporin drops 10 ml, Gravol tablets, Walarin Plus, Carisoma tablets and Levops tablets strip of 10 before DPCO, 1987, their present prices and what is the percentage increase in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. NAMGYAL): (a) and (b) As per the provisions of DPCO 1987 the manufacturer themselves determine the price of price-decon rolled drugs. However, Government is keeping a watch and has intervened wherever found necessary.

Fixation of Drug Prices

552. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Hindustan Times on 8th July, 1989 captioned "Drugcompanies returning money";

(b) if so, what are the names of the 54 bulk drugs whose prices have been fixed:

(c) what were the earlier prices of these drugs and the prices fixed now;

(d) what is the percentage increase and decrease in each case; and

(e) what are the names of the 35 drugs whose prices are being fixed and by when the prices of these drugs will be fixed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. NAMGYAL): (a) to (d) The required details in respect of 53 bulk drugs are given in the Annexure (*See* Appendix CLI, Annexure No. 42) In addition, the price of Chlorpheniramine Maleate bulk drug fixed under DPCO, 1979 was decided to be continued on the recommendation of BICP in August, 1988.

(e) The names of the 35 bulk drugs are given in the Statement (*See* below) The prices in respect of these bulk drugs would be fixed under the provisions of DPCO, 1987 on receipt of recommendations from the BICP.

Statement

Sl. Name of the Bulk Drug No.

1. Atropine
2. Clofazamine
3. Homotropin
4. Idoxoundine
5. Pilocarpine
6. Sulphamethopyrazine